UPAD040033692026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 5, प्रयागराज।

प्रार्थनापत्र संख्या–12 / 12 / 2026

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा द्वारा अध्यक्ष आशुतोष ब्रम्हचारी महराज आदि बनाम् शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आदि

प्रार्थना पत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0

थाना– झूंसी, जिला प्रयागराज।

16–02–2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी।

प्रार्थीगण श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा द्वारा अध्यक्ष आशुतोष ब्रम्हचारी महराज व ठाकुर श्री केशवदेव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव की ओर से विपक्षीगण शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानन्द ब्रम्हचारी, अरविन्द मिश्र एवं दर्जनों से अधिक अज्ञात विपक्षीगण के विरूद्ध संबंधित थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. दाखिल किया गया है।

प्रार्थी ने धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कथन किया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति शिविर, सेक्टर–6, संगम लोवर मार्ग, हरीशचंद्र चौराहा, प्रयागराज (माघ मेला–2026) में माघ मेला के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति हेतु माता शाकुंभरी देवी जी का अनुष्ठान एवं महायज्ञ दिनांक 03 जनवरी 2026 से निरंतर शांतिपूर्ण रूप से चांलित हो रहा है, जहॉ वादी संख्या–6 ठाकुर श्री केशवदेव जी महाराज विधिवत विराजमान हैं। इसी क्रम में परंपरागत मौनी अमावस्या के पावन अवसर दिनांक 18 जनवरी 2026 को माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद के वादी संख्या–6 भगवान केशवदेव जी महाराज (लड्डू गोपाल जी) की पटरानी माता यमुना देवी के मिलन हेतु यात्रा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति शिविर से प्रारंभ हुयी। यात्रा जैसे ही त्रिवेणी मार्ग पर स्थित विपक्षी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के समीप पहुॅची, वहॉ विपक्षीगण द्वारा आम सार्वजनिक मार्ग पर जानबूझकर अवैध रूप से जाम लगा दिया गया, जिससे न केवल उक्त धार्मिक यात्रा एवं उससे संबंधित शांतिपूर्ण गतिविधियॉ बाधित हुयी, बल्कि सार्वजनिक आवागमन भी पूर्णतः अवरूद्ध कर दिया गया। उस समय वादी संख्या 1 के साथ श्री कृष्ण सेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंह, प्रदेश

महामंत्री अमरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार तथा अन्य सेवादार उपस्थित थे। जब वादी नंबर 1 एवं सेवादारो द्वारा शांतिपूर्वक मार्ग देने का अनुरोध किया गया, तो विपक्षीगण आक्रामक हो गये और सामूहिक रूप से हिंसक हमला कर दिया। उक्त हमले के दौरान विपक्षी मुकुंदानन्द ब्रम्हचारी (शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद) ने वादी संख्या 1 को जान से मारने के स्पष्ट इरादे से उसका गला दबाया, जिससे उसकी सांस अवरूद्ध होने लगी और वह असहाय स्थिति में आ गया। उसी समय विपक्षी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा ऊपर प्रदर्शन मंच से जान से मारने के उद्देश्य से कठोर वस्तुएँ/हथियार फेंके गये, जिनमें एक वस्तु वादी संख्या 1 के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यदि वादी समय रहते नीचे न झुकता, तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसी घटना में वादी के सेवादार एवं श्री कृष्ण सेन के प्रदेश महामंत्री अमरेंद्र कुमार के साथ भी मार पीट की गयी, जिससे उन्हें शारीरिक चोटें आईं, तथा अन्य सेवादारों के साथ भी धक्का–मुक्की एवं मार पीट की गयी। इस हमले के दौरान वादी संख्या–6 ठाकुर श्री केशवदेव जी महाराज की प्रतिमा नीचे गिर गयी, जो कि न्यायिक व्यक्ति पर आपराधिक बल प्रयोग की श्रेणी में आता है। वादीगण किसी प्रकार जान बचाकर वहॉ से निकले , अन्यथा विपक्षीगण द्वारा सभी की हत्या कर दी जाती। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 18.01.2026 को थाना झूंसी, जनपद प्रयागराज में तहरीर दी गयी, जहॉ घटना के उपरांत वादी संख्या 1 तथा अमरेंन्द्र कुमार का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसकी मेडिको–लीगल रिपोर्ट में शरीर के विभिन्न भागों पर हार्ड एवं ब्लंट आब्जेक्ट से उत्पन्न चोटें अंकित हैं। उक्त घटना के पश्चात भी विपक्षीगण के हौसले कम नहीं हुये। दिनांक 20.01.2026 को मोबाइल नंबर 07609876222 से वादी संख्या 1 के मोबाइल नंबर 9956000006 पर प्रातः 11.19 बजे एवं 11.23 बजे काल कर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया तथा हत्या की धमकी दी गयी। इसके पश्चात दिनांक 21.01.2026 को समय सायं 4.17 बजे मोबाइल नंबर 6261204031 से तथा उसी दिनांक सायं 7.39 बजे मोबाइल नंबर 9355559555 से पुनः शिकायत वापस लेने की धमकी दी गयी। यह भी निवेदन है कि माघ मेला 2026 में भी विपक्षी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा अपने नाम के आगे ''शंकराचार्य'' उपाधि का प्रयोग कर श्रद्धालुओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि उसे किसी भी मान्य शंकराचार्य पीठ से शंकराचार्य नियुक्त किये जाने की कोई वैधानिक अथवा धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता के अनुसार भारत में केवल चार शंकराचार्य पीठें हैं, इसके बावजूद महाकुंभ 2025/माघमेला 2026 जैसे आयोजनों में अनेक व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य लिखकर भ्रम फैला रहे हैं। यह भी निवेदन है कि यदि विपक्षीगण द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अवैध रूप से जाम न लगाया गया होता, तो यह हिंसक घटना घ

ाटित ही न होती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा समूह सार्वजनिक मार्ग को अवरूद्ध कर जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा करना सार्वजनिक व्यवस्था एवं आवागमन की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। विपक्षीगण द्वारा उक्त न्यायिक निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इन सभी घटनाओं की सूचना थाना झूंसी, पुलिस अधीक्षक माघ मेला–2026, प्रयागराज तथा अन्य उच्च अधिकारियों को लिखित तहरीर, ई–मेल एवं व्हाट्सएप, डाक के माध्यम से दी गई, किंतु आज तक कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया। विपक्षीगण द्वारा किये गये जानलेवा हमले, उसके पश्चात दी गयी निरंतर धमकियों तथा 23 जनवरी तथा पूर्णिमा को यात्रा ना निकालने की धमकी दे रहे हैं जिस कारण वादीगण के जीवन पर गंभीर एवं तात्कालिक खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः विवश होकर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक, माघमेला 2026 प्रयागराज को आदेशित किया जाए कि विपक्षी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानन्द ब्रहमचारी, अरविन्द मिश्र एवं उनके अन्य अज्ञात सहयोगियों के विरूद्ध थाना झूंसी, जनपद प्रयागराज में प्रार्थनापत्र में उल्लिखित धाराओं के अधीन सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष विवेचना करायी जाए।

प्रार्थी की ओर से अपने कथन के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, माघ मेला, प्रयागराज को प्रेषित पत्र की प्रति, थाना प्रभारी झूंसी, प्रयागराज को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, दैनिक अखबार की छाया प्रति, प्रमुख सचिन, उ0प्र0 शासन, को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, इन्ट्री पास, ई–मेल प्रेषित किये जाने की रसीद, चिकित्सीय प्रपत्र सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनी, प्रयागराज की छाया प्रति, एवं रजिस्ट्री रसीद की छाया प्रति आदि प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रार्थनापत्र पर थाना एवं अपर पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट, प्रयागराज से आख्या आहूत की गयी। थाना की आख्यानुसार प्रार्थनापत्र में दर्शाये गये आरोपों के संबंध में कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा थाना झूंसी की आख्या, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट, प्रयागराज द्वारा प्रेषित आख्या व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

थाना झूंसी से प्राप्त आख्या में अंकित किया गया है कि जांच करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक आशुतोष ब्रहमचारी महराज की दिनांक 18.01.2026 की घटना के संबंध में थाना हाजा पर प्राप्त शिकायत के क्रम में आशुतोष ब्रहमचारी उपरोक्त का मेडिकल कराया गया था। थाना हाजा के प्रपत्रों का अवलोकन करने पर थाना हाजा

पर आवेदक आशुतोष ब्रहमचारी की उपरोक्त तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज होना नहीं पाया गया।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त घटना के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट, प्रयागराज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या आहूत की गयी। जॉच आख्या के अवलोकन के उपरान्त ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिसको आधार मानकर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। चूंकि आवेदकगण को प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों की जानकारी है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व प्रलेखों के अवलोकन से मेरे विचार से प्रकरण की न्यायालय द्वारा स्वयं जॉच किये जाने हेतु साक्ष्य अपेक्षित है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2001(43) ए0सी0सी0 पेज 50 पूर्ण पीठ एवं सुखवासी लाल प्रति उ0प्र0राज्य 2007(2)यू0पी0कि0आर0 392** में पारित दिशा निर्देशों के प्रकाश में प्रश्नगत प्रकरण को परिवाद के रूप में पंजीकृत कराया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते बयान धारा 223 बी0एन0एस0एस0 दिनॉक 17–03–2026 को पेश हो।

दिनांक–16.02.2026

(संदीप पारचा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0 5, प्रयागराज।
यू0पी0 2361